राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2156/2010/दौसा
अपील संख्या–2157/2010/दौसा

मैंसर्स राजू गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल,
बास टीकायत, ग्राम सोडाला,
तहसील बसवा, जिला दौसा ...अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर,
वृत–दौसा ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.01.2018

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 25/अपील्स–चतुर्थ/10–11/दौसा एवं 26/अपील्स–चतुर्थ/10–11/दौसा में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमे अपीलीय अधिकारी ने अपीलें अस्वीकार की है।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों के पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक निर्णय से ही किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स राजू गुर्जर को दिनांक 14.05.2005 से 13.05.2006 तक की अवधि के लिये जिला दौसा तहसील बसवा के सांवा नदी के ग्राम चान्देरा से रलावता के मध्य के क्षेत्र से निकलने वाली बजरी के कर संग्रह का ठेका राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम 1994"** कहा जायेगा) की धारा 79 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। व्यवहारी के खिलाफ अधिक कर वसूल करने के सम्बन्ध में शिकायते प्राप्त हुई। शिकायतों के आधार पर जांच आदि की कार्यवाही के पश्चात् सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दौसा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा गया है) अधिनियम की धारा 79 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 13.01.2006 द्वारा कर राशि रू. 4,03,000/–, कर की दुगुनी शास्ति राशि रू. 8,00,600/– एवं ब्याज राशि रू. 4,320/–, 18,258/– व 2,160/– कुल राशि रू. 12,25,638/–

लगातार.....2

का आरोपण किया। इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में आदेश दिनांक 24.01.2006 द्वारा कर राशि रू. 1,20,000/–, शास्ति राशि रू. 2,40,000/– एवं ब्याज राशि रू. 9,000/– कुल राशि रू. 3,69,000/– का आरोपण किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों को उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यि कर जयपुर के समक्ष चुनौती दिये जाने पर उपायुक्त (अपील्स) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 04.05.2006 से अपीलें स्वीकार की जाकर दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि व्यवहारी को जांच से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां प्रत्यर्थी को उपलब्ध करवाई जावें एवं प्रत्यर्थी को प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शिकायत के साथ प्राप्त रसीदों के क्रॉस एग्जामिनेशन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से कर निर्धारण आदेश पारित किया जावे।

5. उपायुक्त (अपील्स) के उक्त आदेशों से व्यथित होकर कर बोर्ड के समक्ष उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रस्तुत किये गये। माननीय कर बोर्ड ने अपने संयुक्त निर्णय दिनांक 18.09.2009 द्वारा राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश यथावत रखे।

6. माननीय कर बोर्ड के उपरोक्त संयुक्त आदेश दिनांक 18.09.2009 के विरूद्व व्यवहारी द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन नं. 154/2010 से 157/2010 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में प्रस्तुत की गई जिनमे संयुक्त आदेश दिनांक 20.01.2017 द्वारा प्रकरणों को राजस्थान कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित किये जाकर यह निर्देश दिये गये कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिन साक्ष्यों/दस्तावेजों के आधार पर कर निर्धारण किया है उन साक्ष्यों/दस्तावेजों की प्रतियां व्यवहारी को उपलब्ध किया जाकर व्यवहारी को जवाब का अवसर दिया जाकर उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय तीन माह में पारित करें तथा निर्णय की प्रति माननीय उच्च न्यायालय को भी भिजवायी जावे।

7. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में व्यवसायी श्री राजू गुर्जर को उपलब्ध साक्ष्यों/दस्तावेजों से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाकर उभयपक्ष को सुनकर कर बोर्ड के समक्ष विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 381,382/2007 व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या 875,876/2007 का निस्तारण कर बोर्ड की इसी खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 12.01.2018 द्वारा पारित किया गया है जिसमे अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये है।

लगातार.....3

8. कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 13.01.2006 व 24.01.2006 के विरूद्व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पृथक–पृथक आदेश दिनांक 04.05.2006 पारित किये जाकर दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को रिमाण्ड किये गये थे। कर निर्धारण अधिकारी ने रिमाण्ड प्रकरण में पृथक–पृथक आदेश दिनांक 02.05.2008 पारित किये तथा कर, ब्याज व शास्ति यथावत रखी। व्यवहारी ने उक्त आदेशों के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील सं. 25/10–11 व 26/10–11 प्रस्तुत की जिनमे अपीलीय अधिकारी ने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.07.10 पारित करते हुये अपीले अस्वीकार की। व्यवसायी द्वारा उपरोक्त आदेशों के विरूद्व ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। चूंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा पृथक–पृथक आदेश दिनांक 04.05.2006 कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील सं. 381/2007 व 382/2007 में अपास्त कर दिये गये है जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.05.2006 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 02.05.2008 व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2010 प्रभाव शून्य होने के कारण अपास्त योग्य है।

9. फलतः उपरोक्त दोनों अपीलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 02.05.2008 व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2010 प्रभाव शून्य होने के कारण अपास्त किये जाते है व तद्नुसार अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य